सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 23, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 13, 2022 *Chaitra 23, Wednesday , Saka 1944- April 13, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 12, 2022

संख्या प.1(1)न्याय/2022 :-पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन व स्थापन करती हैः-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	परिवारिक न्यायालय संख्या 2, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2	परिवारिक न्यायालय संख्या 2, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3	परिवारिक न्यायालय संख्या 3, उदयपुर	उदयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही वर्तमान में कार्यरत पारिवारिक न्यायालय, भीलवाड़ा एवं पारिवारिक न्यायालय, श्रीगंगानगर का नाम परिवर्तित करते हुए क्रमशः पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, भीलवाड़ा एवं पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 श्रीगंगानगर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।